

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज।

पत्रांक: 4556-59

/2014-15

दिनांक 16 अगस्त 2014

## विज्ञापित

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 2651(1)/79-5-12-1(04)/13 दिनांक 11 जुलाई 2013 शासनादेश संख्या 3227/79-5-2013-1(4) /13 दिनांक 23 अगस्त 2013 एवं शासनादेश संख्या 2149/79-5-2014/दिनांक 30 जून 2014 के अनुक्रम में जनपद कासगंज हेतु कुल निर्धारित विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों के रिक्त 49 एवं गणित विषय के सहायक अध्यापकों के रिक्त 15 पदों हेतु 10 गुना अभ्यर्थियों की तृतीय क्रम सूची एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी निर्देश आदि का विवरण <http://जनपद.nic.in/> पर क्लिक करके देखी जा सकती है। जॉच सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी निम्न विवरणानुसार मूल अभिलेखों के जॉच हेतु प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

वर्ग/श्रेणी	कट आफ मेरिट		काउन्सिलिंग तिथि	काउन्सिलिंग स्थल
	विज्ञान	गणित		
विशेष आरक्षण-				
1. दृष्टिबाधित विकलांग	-	55.94	22.08.2014	डायट हरबन्दपुर राबडा
2. श्रवण बाधित विकलांग	64.59	61.69	22.08.2014	
3. चलनप्रक्रिया विकलांग	64.12	-	22.08.2014	
4. स्व0 सं0 से0 आश्रित	50.76	-	22.08.2014	
5. भूतपूर्व सैनिक	-	-	22.08.2014	
विशेष आरक्षण से भिन्न-				
सामान्य जाति	68.44	67.61	22.08.2014	डायट हरबन्दपुर राबडा
अनुसूचित जाति	64.07	61.77	22.08.2014	
अनुसूचित जनजाति	-	-	22.08.2014	
अन्य पिछड़ी जाति	67.79	67.29	22.08.2014	

नोट:-1. निर्गत जॉच सूची में सम्मिलित होने मात्र से अभ्यर्थी द्वारा चयन/नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।


- ऐसे अभ्यर्थी जो कतिपय कारणों से अनन्तिम चयन सूची में स्थान नहीं पाते है वे अपने मूल अभिलेख के साथ किसी अन्य जनपद की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- किसी भी दशा में अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित होने के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख किसी अन्य जनपद में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रदान नहीं किये जायेंगे।



# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज ।

काउन्सिलिंग सम्बन्धी निर्देश

- 1- प्रत्येक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र, चालान की प्रति, शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों, निवास, जाति प्रमाण पत्र की दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ फायल कवर में तथा उनके मूल अभिलेख काउन्सिलिंग में लेकर उपस्थित हो। मूल अभिलेख भी जमा कर लिये जायेगे।
- 2-निर्धारित प्रारूप 1 एवं 02 पर 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटो सहित प्रस्तुत करें। (संलग्न)
- 3-उ0प्र0 में आवेदन की तिथि के पूर्व निरन्तर 05 वर्ष से निवास कर रहे हो।
- 4-चयन/नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

  
(दीवान सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कासगंज ।  
16-8-14

प्रारूप-1

शपथ-पत्र

मैं \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_

शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ ।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-2

शपथ-पत्र

मैं \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_

शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण ई-आवेदनपत्र में अंकित किया गया वह सत्य है, चयन/नियुक्ति किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए ।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर